इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387] भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर 2012—भाद्र 14, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2012

सूचना

क्र. 4411-वियो-367-नग्रानि-2012.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि खण्डवा निवेश क्षेत्र की विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरणों का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 5 सितम्बर 2012 को प्रकाशित किया गया है. उक्त प्रारूप की प्रति कलेक्टर, जिला खण्डवा, आयुक्त, नगरपालिक निगम, खण्डवा, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यालयों में दिनांक 5 सितम्बर 2012 से कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 5 सितम्बर 2012 से कार्यालय, नगरपालिक निगम, खण्डवा के सभागृह (वाचनालय) में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है. प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रारूप विकास योजना की विशिष्टतायें नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी हैं:—

अनुसूची

1. भूमि के अद्यतित वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र.

1-क प्राकृतिक परिसंकटों के विवरण सहित प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र.

2. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के उपबंधों को स्पष्टीकृत करने वाले मानचित्रों तथा चार्ट्स समर्थित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

3. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के कार्यान्वयन की क्रमावस्था.

4. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप को प्रवर्तित करने के लिए तथा वह रीति जिसमें विकास के अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, कथित करने के लिए उपबंध.

5. लोक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन के खर्चे तथा प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के कार्यान्यवन के अन्तर्वलित कार्यों के खर्चे का लगभग प्राक्कलन.

उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हों तो इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 30 दिन की कालावधि के भीतर उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा अथवा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल को भेजें या प्रदर्शनी स्थल पर प्रस्तुत करें.

के. सी. गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. एफ-3-197-बत्तीस-2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4411-एम.पी.एस.-367-नग्रानि-2012, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 31st August 2012

NOTICE

No. 4411-MPS-367-2012.—Notice is hereby given that the Draft of the proposed modifications in the Development Plan for Khandwa Planning Area is published on 5th September 2012 in accordance with the provision of sub-section (2) of Section 23 read with sub-section (1) of Section 18 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 5th September 2012 at the Office of the Collector, Distt. Khandwa, Commissioner, Municipal Corporation, Khandwa, Deputy Director, Town & Country Planning, Khandwa and Directorate, Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal during office hours, except holidays. As exhibition is also arranged at Office of the Municipal Corporation Meetting Hall (Library), Khandwa w.e.f. 5th September 2012. Copies of the Plan will be supplied on payment at the exhibition place.

The particulars of the said Draft Development Plan have been specified in the Schedule given below:—

SCHEDULE

1. The updated existing land use map.

i-a The natural hazard prone areas with the description of natural hazards.

2. A narrative report, supported by maps and charts, explaning the provisions of the draft of the proposed modifications.

3. The phasing of implementation of the draft of the proposed modifications.

4. The provisions of enforcing the draft development plan and stating the manner in which permission of development may be obtained.

5. An approximation of the cost of land acquisition, for public purpose and the cost of works involved in the implementation of the draft of proposed modifications.

If there be any ojection or suggestion with respect of the said Draft, it should be sent to Deputy Director, Town & Country Planning, Distt. Office Khandwa or Director, Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal or may be submitted at the exhibition place within 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

K. C. GUPTA, Commissioner-cum-Director.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.